



सत्यमेव जयते

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र NUCLEAR FUEL COMPLEX
डाक. ई.सी.आई.एल.हैदराबाद - 500062 E.C.I.L. (P.O.), HYDERABAD – 500 062



फोन PHONE : 040 -27184205/27184248

फैक्स FAX: 040-27121271

पेंशन अदालत PENSION ADALAT 2020

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन नाईस (हैदराबाद) के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के ध्यान आकर्षण हेतु
For the attention of NFC (Hyderabad) Pensioners / Family Pensioners Under CCS(Pension) Rules, 1972

दिनांक 30.12.2020 (बुधवार) को 1030 बजे एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेंशन अदालत 2020 नाईस (हैदराबाद) के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों पर विचार करने और उनका निपटान करने के लिए आयोजित की जा रही है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पेंशन अदालत में भाग लेने के इच्छुक है वे नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के आधार भवन स्थित भूतल, प्रशिक्षण हॉल में दिनांक 30.12.2020 को 1030 बजे इसमें भाग ले सकते हैं। पेंशन लाभ के संबंध में शिकायतों पर अदालत में विचार किया जाएगा। पहले से निपटाई/उत्तर दी गई शिकायतों पर विचार नहीं जाएगा। किसी भी कानूनी मामलों और नीति संबंधी मामलों को पेंशन अदालत में नहीं सुना जाएगा।

A "PENSION ADALAT-2020" is scheduled to be held at 1030 Hrs on 30.12.2020 (Wednesday) through Video Conference to consider and redress grievances of NFC (Hyderabad) Pensioners and Family Pensioners. Those who are desirous to attend the Pension Adalat personally, they may attend at Training Hall, Ground Floor, Aadhar Building, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad at 1030 hrs on 30-12-2020. Grievances pertaining to Pensionary benefits would be considered in the Adalat. **Grievances already settled / replied will not be considered.** No legal cases and policy matters will be considered in the Pension Adalat.

नाईस, हैदराबाद के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अपनी शिकायत को, यदि कोई हों तो, निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रशासनिक अधिकारी-III (ई एवं पी), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को ई-मेल के ao-estt@nfc.gov.in पर या उपर्युक्त पते पर डाक के जरिए एक लिफाफे पर "नाईस (हैदराबाद) पेंशन अदालत 2020" लिखकर उपर्युक्त पते पर भेज दें। नाईस (हैदराबाद) में दिनांक 28.12.2020 तक प्राप्त शिकायतों पर विचार किया जाएगा। शिकायतों को भरने हेतु प्रारूप, वीडियो कांफ्रेंस प्रक्रिया और अन्य सूचनाओं को हमारी वेबसाइट www.nfc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

NFC (Hyderabad) Pensioners and Family Pensioners **may send their grievances** if any, in the prescribed format to Administrative Officer-III (E&P), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad on e-mail at **ao-estt@nfc.gov.in** or **by post** at the above address in an envelope superscribed "**NFC (HYDERABAD) PENSION ADALAT 2020**". Grievances received in NFC (Hyderabad) by **28.12.2020** shall be considered. The format for filling of grievances, Video Conference procedure and other information may be downloaded from our website www.nfc.gov.in.

प्रशासनिक अधिकारी **Administrative Officer-III**
नाईस (हैदराबाद) पेंशन अदालत **NFC(Hyderabad) Pension Adalat**